दिनांक 10.11.2016 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ली गई वीसी का कार्यवाही विवरण।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :

1. अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देते हुये 100 दिवस की मजदूरी प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास सभी जिलों के द्वारा किये जाये। ग्राम पंचायतवार ऐसे परिवारों को चिन्हित कर मजदूरी उपलब्ध कराने हेतु नियोजित करें। उपरोक्तानुसार लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उपयंत्री, सचिव, ग्राम रोजजगार सहायक वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकन करें।

2. गूगल शीट पर प्राप्त की जा रही जानकारी अद्यतन होना सभी जिले सुनिश्चित करें। गूगल शीट पर संख्यात्मक जानकारी जहां पर चाही जा रही है वहां उसी फार्मेट में जानकारी भरना सुनिश्चित करें।

प्रधान मंत्री आवास योजना :

1. प्रत्येक गांव में प्राप्त लक्ष्य के भीतर निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार एक कमरा कच्चा Saturated करने के बाद शेष लक्ष्य जिले के द्वारा समर्पित (surrender) किया जाना है। एक रूम कच्चा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का रोस्टर चलाते हुए हितग्राहियों का निर्धारण किया जाये। ग्राम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति saturation उपरान्त ही अन्य वर्ग की डेप्रिवेशन अनुसार लक्ष्य लिए जावें।

2. दो रूम कच्चा के प्रकरणों में जिले द्वारा बिना पृथक निर्देश के स्वीकृति के न किया जाए।

3. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम/RURBAN क्लस्टर/ सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांव में एक रूम कच्चा तक हितग्राहियों को स्वीकृति का होना सुनिश्चित करें एवं तदानुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो तत्काल surrender करे। स्तर पर सूचना निर्धारित प्रारूप में भेजे।

4. जिन जिलों में आवास बनाने हेतु आबादी घोषित करने के लिए जगह नहीं बची है वहॉ भूमि की आवश्यकता स्पष्ट करते हुये जानकारी गूगल शीट पर एवं पृथक से अंकित करें।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रेरक का चयन, प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया (Process) पर विशेष ध्यान दें एवं अद्यतन जानकारी गूगल शीट पर अपलोड करें।

सामान्य –

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत जनपदवार लक्ष्य निर्धारित करते हुये सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने का प्रारूप तैयार किया जाये। वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में विभिन्न विभागीय योजनाओं में की जा रही प्रगति के अनुसार ही लेख हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग